

सोने एवं चांदी
आभूषणों
के विक्रेता
माँ दुर्गा ज्वेलर्स
(उचित व्याज में गिरवी रखी जाती है)
शॉप पने. 69, सी-मार्केट, सेक्टर-6, भिलाई
मो. 9424124911

वर्ष- 15 अंक - 301 | www.shreekanchanpath.com | संस्थापक एवं प्रेरणास्रोत- स्व. श्रीमती रजनी अग्रवाल | मिलाई, मंगलवार 13 अगस्त 2024 | पृष्ठ 8- मूल्य 1/-

खास-खबर



पती, दो बच्चों और अपनी मां को
मारकर की आत्महत्या

भागलपुर (एजेंसी)। परिवार के अंदर विवादों का दबाव इस हद तक बढ़ गया है कि पूरा का पूरा घर तबाह हो जा रहा है। इस बारे ऐसी तबाही विवाह के भागलपुर से सामने आई, वह भी पुलिस लाइन के अंदर से। एक महिला सिपाही का पूरा परिवार इस घर में रहता था और अब कोइंहीं नहीं बचा। बिहार के भागलपुर को हड्डीपंथ मध्य गण्डा, खांची शाहर, पुलिस लाइन के अंदर एक सिपाही का पूरा परिवार मरा हुआ पाया गया। महिला सिपाही पत्नी, अपने दो बच्चों और अपनी मां को मारने वाले उनके शब्दों ने खुद भी आत्महत्या कर ली।

मुकरे में मालिल सिपाही नीतू कुमारी, उसके दो बच्चे, उसकी सास और पति शामिल हैं। परिवार के काटर नंबर सीबी 36 की है। महिला सिपाही नीतू कुमारी के दो बच्चे और उनकी सास की गला काटकर हत्या की गई है, जबकि नीतू कुमारी की ईंसे से कूच-कूच कर रह्या की गई है। बताया जा रहा है कि इस घटना को उसके अपने ही अंजाम दिया है। यदि आप भी ऐसा करते हैं तो आप पर राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का केस दर्ज कर गिरफ्तारी भी हो सकती है।

स्वतंत्रता दिवस का राष्ट्रीय पर्व परसों मनाया जाना है, लेकिन इससे पहले ही लोगों में स्वतंत्रता दिवस का उत्साह और उल्लास नजर आने लगा है। इसी उत्साह के बीच दुपहिया से लेकर चार पहिया वाहनों में लोग तिरंगा झंडा लगाकर भी धूम रहे हैं, लेकिन वाहनों में राष्ट्रीय ध्वज लगाने का विशेषाधिकार महज कुछ लोगों तक ही सीमित है। राष्ट्रीय ध्वज को लेकर ध्वज संहिता में काफी सारी पार्वदिव्य थीं, जिन्हें जन सुविधाओं के हिसाब से बदला गया है, लेकिन कुछ नीत्य-कायदे अब भी अपनी जगह कायदा हैं और उसका उल्लंघन करने पर धरणी ध्वज प्रदर्शित किया जाए, तो उसे

श्रीकंचनपथ न्यूज डेरक

तिरंगे पर यह गलती पड़ सकती है भारी

हर किसी को नहीं है वाहनों में राष्ट्रीय ध्वज लगाने का अधिकार



नियम तोड़ने पर कितनी सजा

नागरिकों को घर पर तिरंगा फहराने या हाथ में झंडा लेकर चलने की आजादी है। लेकिन प्राइवेट गाड़ियों पर झंडा लगाना कानूनन अपराध है। अगर कोई इसका दोषी पाया जाता है तो उसे पर राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसके अनुसार भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों जैसे राष्ट्रीय ध्वज, सर्विन और राष्ट्रगान के अपमान करने पर व्यक्ति को 3 साल तक की जेल या जुर्माना या फिर दोनों सजाए हो सकती हैं।

भारतीय ध्वज संहिता 2002 के पैराग्राफ 3.44 के मुताबिक, राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यों में विधान परिषदों के अध्यक्ष, राज्यों में विधानसभा के अध्यक्ष, राज्यों में विधानसभा के उपाध्यक्ष और केन्द्र शासित प्रदेश में विधानसभा के अध्यक्ष, राज्यों में विधान परिषद के उपाध्यक्ष और भारत के मुख्य न्यायालयों के मुख्य न्यायालय शामिल हैं। नेशनल फ्लैग कोड कहत है कि तिरंगे को कहाँ भी लगाने वाले उसकी केसरिया पट्टी सबसे ऊपर होनी चाहिए। इसके अलावा फटा या मैला-कुरेला ध्वज प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए।

समय की पांचदी हुई खत्म

गौरतलब है कि पूर्व में सूर्योदय से सूर्योदय तक ही राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की अनुमति थी, लेकिन 2022 में सरकार ने इस नियम में संशोधन कर दिया था। नए नियमों के मुताबिक, अब झंडा फहराने के लिए समय की पांचदी नहीं है। संशोधित फ्लैग कोड के अनुसार, पॉलिस्टर, कपड़े से बने झंडे को फहराने पर पांचदी हो गई है। राष्ट्रीय ध्वज को फहराने पर पांचदी होने के बावजूद, भारतीय मिशन पर्सों के प्रमुख, प्रधानमंत्री, केविनेट मंत्री, राज्यमंत्री और संघ के उपमंत्री शामिल हैं।

इन बातों का रखना होगा ध्यान

नियमों के अनुसार, कोई भी सार्वजनिक या निजी संस्था या शैक्षिक संस्थान का सदस्य किसी भी दिन और किसी भी मौके पर राष्ट्रीय ध्वज छहरा सकता है।

लेकिन जरूरी बात यह है कि जब भी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया जाए, तो उसे

पूरा समान दिया जाना चाहिए। ध्वज को उचित स्थान पर रखा जाना चाहिए। यानी कि ध्वज को जीमी पर या गंडी जगह पर नहीं रखा जाए। इसके अलावा फटा

या मैला-कुरेला ध्वज प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए।

पूरा समान दिया जाना चाहिए। ध्वज को उचित स्थान पर रखा जाना चाहिए। यानी कि ध्वज को जीमी पर या गंडी जगह पर नहीं रखा जाए। इसके अलावा फटा

या मैला-कुरेला ध्वज प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए।

राजस्व, स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस पर अक्सर लोग अपनी बाइक या कार पर तिरंगा लगा लेते हैं। लेकिन हाल किसी को

संहिता, 2002 के अनुसार केवल कुछ लोगों को अपने पोर्टर वाहन पर तिरंगा फहराने का

कानूनी अधिकार है। जो लोग अपने वाहन पर

ऐसा करने की इजाजत नहीं है। भारतीय ध्वज

संहिता, 2002 के अनुसार केवल कुछ लोगों

को अपने पोर्टर वाहन पर तिरंगा फहराने का

कानूनी अधिकार है। जो लोग अपने वाहन पर

राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित कर सकते हैं, उनमें

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और

उपराज्यपाल, भारतीय मिशन पर्सों के प्रमुख,

प्रधानमंत्री, केविनेट मंत्री, राज्यमंत्री और संघ

के उपमंत्री शामिल हैं।

चाकू से गोदके दुर्युक की हत्या बोरसी भाटा में देर रात वारदात



पुलिस हिरासत में आरोपी

श्रीकंचनपथ न्यूज

शुभम बंद टाइल्स लगाने का काम करता था। सोबतारी की रात करीब 11 से 12 के बीच शुभम बंदे का कुछ युवकों से पुरानी बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि युवकों ने उस पर चाकू बंदे से ताबड़ीत हुए हमला कर दिया। युवक की चाकू बंदे से बारिंग लेशम, खांडी बैटरी विल्टिंग से बनाया जा सकता है। हाथ से बुने हुए या मर्शीन से बने रखने के बावजूद, युवकों ने उस पर चाकू बंदे से ताबड़ीत हुए हमला कर दिया। युवक की चाकू बंदे से ताबड़ीत हुए हमला कर दिया। युवक की चाकू बंदे से ताबड़ीत हुए हमला कर दिया। युवक की चाकू बंदे से ताबड़ीत हुए हमला कर दिया।

गौरतलब है कि युवकों ने उस पर चाकू बंदे से ताबड़ीत हुए हमला कर दिया। युवक की चाकू बंदे से ताबड़ीत हुए हमला कर दिया।

गौरतलब है कि युवकों ने उस पर चाकू बंदे से ताबड़ीत हुए हमला कर दिया।

गौरतलब है कि युवकों ने उस पर चाकू बंदे से ताबड़ीत हुए हमला कर दिया।

गौरतलब है कि युवकों ने उस पर चाकू बंदे से ताबड़ीत हुए हमला कर दिया।

गौरतलब है कि युवकों ने उस पर चाकू बंदे से ताबड़ीत हुए हमला कर दिया।

गौरतलब है कि युवकों ने उस पर चाकू बंदे से ताबड़ीत हुए हमला कर दिया।

गौरतलब है कि युवकों ने उस पर चाकू बंदे से ताबड़ीत हुए हमला कर दिया।

गौरतलब है कि युवकों ने उस पर चाकू बंदे से ताबड़ीत हुए हमला कर दिया।

गौरतलब है कि युवकों ने उस पर चाकू बंदे से ताबड़ीत हुए हमला कर दिया।

गौरतलब है कि युवकों ने उस पर चाकू बंदे से ताबड़ीत हुए हमला कर दिया।

गौरतलब है कि युवकों ने उस पर चाकू बंदे से ताबड़ीत हुए हमला कर दिया।

गौरतलब है कि युवकों ने उस पर चाकू बंदे से ताबड़ीत हुए हमला कर दिया।

गौरतलब है कि युवकों ने उस पर चाकू बंदे से ताबड़ीत हुए हमला कर दिया।

गौरतलब है कि युवकों ने उस पर चाकू बंदे से ताबड़ीत हुए हमला कर दिया।

गौरतलब है कि युवकों ने उस पर चाकू बंदे से ताबड़ीत हुए हमला कर दिया।

गौरतलब है कि युवकों ने उस



संपादकीय

राजमार्ग पार्किंग नहीं

दिली की शंभू सीमा पर किसानों के निरंतर धरना-प्रदर्शन से लगे जाम को हटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की समिक्षिता स्वागत योग्य है। न्यायमूर्ति सूर्यकंत ने उचित ही टिप्पणी की है कि राजमार्ग ट्रैक्टर, ट्रॉली आदि के लिए पार्किंग की जगह नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा व पंजाब पुलिस, दोनों के प्रमुखों को शंभू सीमा की आंशिक रूप से फिर से खोलने की काशेश के निर्देश दिए हैं। इस सीमा पर आंदोलित किसान 13 फरवरी से ही डेरा जाल हुए हैं।

सीमा के बंद होने से लोगों को बहुत परेशानी हो रही है और सीमा खुलने की राज्य सरकारों को कोई जल्दी नहीं है। पहले भी जब किसान आंदोलन हुआ था, तब किसान महीनों तक सीमा पर बैठे रहे थे और लोगों को बहुत परेशान हुई थी। अब फिर किसानों की सीमा पर बैठे छोड़ महीनों होने को आए, पर स्थानीय प्रशासन किसानों को समझाने में नाकाम है। यहां यह ध्यान रखना चाहिए कि अमरिंदर सिंह सरकार के समय से ही पंजाब में चल रहे आंदोलन को दिली भेजा गया था। क्या अब इसमें पंजाब सरकार की कोई भूमिका नहीं है? आज अगर सर्वोच्च न्यायालय में यह चाहिए है कि पंजाब सरकार को आगे आंदोलन को आंशिक रूप से खोलना चाहिए।

इसमें कोई शक नहीं कि आज के किसान आंदोलनकारी विवश या कमज़ोर नहीं, मजबूत हैं, तभी तो सरकार उहें तो सीमा या राजमार्ग पर बैठकर अपनी बात रखने का मौका दे रही है। एक समय था, जब किसानों के विरुद्ध बल प्रयोग होता था। आज बल की नहीं, संवाद की जरूरत है। शासन को बहुत इमानदारी के साथ संवाद करना चाहिए। इलाज टालने से बीमारी में इजाफा होता है। यह समझने में जिसे दिक्कत हो रही है, उसे युद्ध सर पर समझाने की जरूरत है। राष्ट्रीय राजधानी की ओर आगे आया था। आज बल की नहीं, संवाद की जरूरत है।

लोगों को हो रही तकलीफ पर गौर करना चाहिए। धरना पर बैठे किसान तो अपनी मर्जी से आ-जा रहे हैं, पर स्थानीय लोगों और अन्य नागरिकों को जो परेशानी हो रही है, उसकी भरपारी कौन करेगा? वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, किंवित्स के लिए जाने वाले लोगों के बाहर की जारी रही है। शंभू सीमा की आंशिक रूप से खोलने के निर्देश दिए गए हैं। क्या लोगों को राजमार्ग पर से कम एक लेन उत्तरव्य हो सकता है? आगे बढ़े राजमार्ग के लिए जारी रही है। अगर अधिकारी इमानदारी से समझाइश करें, तो उसका असर जरूर होगा। यह बात भी गौर करने की है कि किसानों का भग्ना है, जाम उन्होंने नहीं लगाया, सरकार ने लगाया है। बेशक, अब समय आ गया है और समाधान के लिए मिलकर काम करना होगा।

खास खबर

राजधानी नें डेंगू जनजागरकता
अभियान तेजी से प्रगति पर

रायपुर। रायपुर जिला कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह के आदेशानुसार एवं नगर पालिका निगम रायपुर के आयुक्त अविभाग मिश्रा के आदेशानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

अधिकारी सीएमएचओ और एनबीडीसीपी की टीम सहित नगर निगम स्वास्थ्य विभाग एवं जोनों की टीमों द्वारा मानसन के दौरान नगर पालिका के प्रति जनजागरकता लाने सहत निरंतर अभियान तेजी से प्रगति पर है। डेंगू जनजागरकता अभियान के तहत चिकित्सा वार्डों की बहितरी, मोहब्बी, कालानियों में सीएमएचओ सहित एनबीडीसीपी की टीम नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ मलिकर घर-घर जाकर कुलर, टंकी, गमले, कंटर में भरा हुआ ठहरा हुआ पानी खाली कराने एवं टेम्पोफेस नामक दवा का छिकाक करने का अभियान चला रही है। साथ ही लोगों को पाम्पलेट के माध्यम से मच्छरजनित रोग डेंगू के लकड़ों, बचाव एवं सुरक्षा का संबंध में जानकारी देकर जगरूक बनाने का कार्य किया जा रहा है। रायपुर जिला कलेक्टर के आदेशानुसार एवं नगर निगम आयुक्त और सीएमएचओ के निर्देशानुसार डेंगू जनजागरण अभियान के तहत जिला स्तरीय एवं नगर निगम की टीमें अब तक 1600 घरों में घर-घर जाकर सर्वे भरे हैं और 11087 कंटर नगर गमले, टंकी, कुलर में भरा हुआ पानी खाली कराने का कार्य कर चुकी है। 33000 से अधिक लोगों से संपर्क कर पाम्पलेट के माध्यम से उन्हें डेंगू के प्रति जागरूक बनाने का कार्य किया जा चुका है।

स्वास्थ्य केन्द्र को मिला राष्ट्रीय स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र

दंतेवाड़ा। जिले के स्वास्थ्य केन्द्र को मिला राष्ट्रीय स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र कलेक्टर मयंक चूर्णवेदी मार्गिशन में जिले के एक स्वास्थ्य केन्द्र, आयुष्मान आरोग्य एवं उत्कृष्ण कर्मानुसार स्वास्थ्य सेवाएं प्रदाय के लिए राष्ट्रीय स्तरीय से राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (एनक्यूएस) गुणवत्ता का प्रमाणीकरण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा चयनीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चयनीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का आयोजन किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत निरेक्षण की व्यवस्था एवं निरेक्षण दिए गए हैं। उन्होंने खुब कई शिविरों का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी थीं।

विश्व हाथी दिवस पर हाथियों को बचाने के लिए ली गई शायद

नगरी। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय फरसियाँ में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के द्वारा 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस के अवसर पर विद्यालय में छात्र-छात्राओं को हाथियों के संबंध में जानकारी देकर उनके रक्षा के लिए शपथ दिलाया गया। हाथियों के संबंध में जानकारी देते हुए विद्यालय के प्राचार्य नीरज सेन ने बताया कि प्रकृति में जीव जंतुओं की संख्या लगातार मानव दबाव के कारण से कम होते जा रही है। मानव अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए जंगलों की कठाई कर हाथी हैं और यह गौरवनित करने वाला क्षण है। हम अपने तिरंगा का समाज करने के लिए खाली रक्षा देते हुए हमारे देश की पहचान के साथ ही हम सभी भारतवासियों में देश प्रेम की भावाना को विश्वासित करता है।

उक्त उदाग्रा भाजपा नेत्री एवं अनुसंचित जाति विकास प्राधिकरण कर्मचारी द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के द्वारा 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस के अवसर पर विद्यालय में छात्र-छात्राओं को हाथियों के संबंध में जानकारी देकर उनके रक्षा के लिए शपथ दिलाया गया। हाथियों के संबंध में जानकारी देते हुए विद्यालय के प्राचार्य नीरज सेन ने बताया कि प्रकृति में जीव जंतुओं की संख्या लगातार मानव दबाव के कारण से कम होते जा रही है। मानव अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए जंगलों की कठाई कर हाथी हैं और यह गौरवनित करने वाला क्षण है। हम अपने तिरंगा का समाज करने के लिए खाली रक्षा देते हुए हमारे देश की पहचान के साथ ही हम सभी भारतवासियों में देश प्रेम की भावाना को विश्वासित करता है।

कलेक्टर ने हर घर तिरंगा अभियान की दिलायी शपथ

धमतरी। शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर नप्रता गांधी ने कलेक्टरेट सभाक्ष में उपरिस्थित अधिकारियों को हर घर तिरंगा अभियान के तहत शपथ दिलायी। शपथ में कहा गया कि मैं शपथ लेती हूं कि मैं तिरंगा फहराऊंगी। हमारे स्वतन्त्रता सेनानी और बारे सप्तांत्रों की रक्षा का सम्पर्क करने के लिए शपथ को समर्पित करूंगी। इस अवसर पर कलेक्टर ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान देश प्रेम की भावानाओं से जुड़ा है। यह गौरवनित करने वाला क्षण है। हम अपने तिरंगा का समाज करते हैं। हर घरमारे देश की पहचान के साथ ही हम सभी भारतवासियों में देश प्रेम की भावाना को विकसित करता है। हम सभी भारतीय हर घर तिरंगा अभियान से जुड़े हैं और वीर सपूत्रों को सम्मान दें।

CAR DECOR
House Of Exclusive
Seat Cover,
Car Stereos Matting &
Sun Control Film &
Other Accessories
Shop No.3 Nafish Tower,
Opp. Indian Coffee House,
Akashganga, Bhilai
Mo.9300771925, 0788-4030919
K. Satyanarayan



